भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2931
दिनांक 17 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

डीपीसीओ के अंतर्गत औषधियां

2931. श्री राजकुमार चाहर:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) द्वारा जिन औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, देश में खुदरा विक्रेताओं द्वारा उन्हें उच्च मूल्यों पर बेचा जा रहा है और जरूरतमंद रोगियों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई; और

(ग) क्या सरकार की राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से डीपीसीओ के अंतर्गत प्रत्येक दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की योजना है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (ग): औषध विभाग (डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट दवाओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत नई दवा का खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है जो केवल आवेदक विनिर्माण/विपणन कंपनियों पर लागू होता है। अनुसूचित दवाओं के विनिर्माता अपने उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (साथ ही लागू वस्तु एवं सेवा कर) के भीतर निर्धारित कर सकते हैं। गैर-अनुसूचित फार्मूलेशन के मामले में, एनपीपीए द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और विनिर्माता उनके द्वारा लॉन्च की गई दवाओं की एमआरपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कोई भी विनिर्माता विगत 12 महीनों के दौरान एमआरपी को एमआरपी के 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्य की निगरानी करता है और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयां (पीएमआरयू), राज्य औषधि नियंत्रकों; व्यक्तियों; खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों; बाजार आधारित डेटा से रिपोर्ट और साथ ही शिकायत निवारण वेबसाइटों, 'फार्मा जन समाधान' और 'केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

*****